भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 119

07 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

चावल का भण्डार

लापरवाही के कारण खाद्यान्नों का खराब होना

119. श्री शंकर लालवानी:

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों की मिलीभगत या उनकी लापरवाही से हजारों टन खाद्यान्न का वजन बढ़ाने के लिए उन पर जानबूझकर पानी छिड़ककर या अन्य तरीकों से खराब कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस प्रकार खराब हुए खाद्यान्न का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्न को खराब होने से बचाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है और यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी नहीं।

(ख): उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): हरियाणा सरकार के अधीन एक संगठन, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड), सोनीपत से संबंधित निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) गोदाम में इस तरह का मामला देखा गया है। हैफेड द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:-

- गोदाम के संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
- उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा रही है।
- दोषी अधिकारियों के खिलाफ मोहना (सोनीपत) थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है।

******